प्रेस नोट दिनांक 20.02.2021

इटावा पुलिस की प्रभावी पैरवी के चलते अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा सुनाई गयी आजीवन कारावास की सजा।

जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा श्री आकाश तोमर द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/ अपराध व क्षेत्राधिकारी भरथना के नेतृत्व में थाना लवेदी पुलिस एवं मॉनीटरिंग सैल/पैरवी सैल की प्रभावी पैरवी के चलते अपनी पत्नी की हत्या के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 5000/-रू0 के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 26.10.2016 को थाना लवेदी पर श्री लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी द्वारा प्रवीण कुमार अवस्थी निवासी जैतपुरा थाना लवेदी, इटावा के विरूध्द अपनी पुत्री की हत्या करने के सम्बन्ध में तहरीर दी गयी थी। जिसके सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही करते हुए थाना लवेदी पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 111/16 धारा 498ए, 304बी, 120बी, 302/120 भादवि0 व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधि0 पंजीकृत किया गया था। जिसमें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा के आदेशानुसार साक्ष्य संकलित कर दिनांक 05.11.2016 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में विवेचना अधिकारी श्रीमान क्षेत्राधिकारी भरथना द्वारा विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्यों के आधार पर आरोप पत्र सं0 82/16 दिनांक 18.02.2017 को मा0 न्यायालय को प्रेषित किया गया। थाना लवेदी पुलिस एवं मॉनीटरिंग/पैरवी सैल द्वारा प्रकरण को गंभीरता से समयानुसार समस्त गवाहों एवं अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गई जिसके परिणामस्वरूप उक्त जघन्य अपराध कारित करने वाले आरोपी को सजा कराने में सफलता प्राप्त हुई।

सजायाफ्ता अभियुक्तः-

01. प्रवीण कुमार अवस्थी पुत्र रमेश अवस्थी निवासी जैतपुरा थाना लवेदी, इटावा।

सोशल मीडिया सेल
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद इटावा।